ISSN -PRINT-2231-3613ONLINE2455-8729
International Educational Journal
UGC APPROVAL NO. - 42652
CHETANA

Received on 4th April 2018, Revised on 6th April 2018; Accepted 7thApril 2018

आलेख

विभिन्न आरक्षित वर्गों के बी.एड.शिक्षार्थियों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन

* **डॉ. संदीप शर्मा,** रीडर एवं **रामपाल सैनी**, शोधकर्ता
ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा महाविद्यालय, सीटीई, संगरिया (हनुमानगढ़)
मोबाईल – 9079270790, 9413759374

Key words: *RTE, नीति–निदेशक तत्व, आरटीई–2009 आदि।*

प्रस्तावना

शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतान्त्रिक प्रणाली की सरकार की सफलता वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करता है और साथ ही साथ अपने देश को भी विकास की ओर आगे बढ़ाने में योगदान करता है। शिक्षा ही एक व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करती है। हमारे देश में यह कहा गया है कि एक अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है। किन्तु हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी बालकों को शिक्षा देने का कर्तव्य संविधान में राज्य के नीति–निदेशक तत्व के रूप में संविधान के भाग 4 में रखा था। अनुच्छेद 45 के अधीन राज्य का 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवम् अनिवार्य शिक्षा देने का कर्त्तव्य था। यह माना गया था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें संविधान के इस निदेश को ईमानदारी से कार्यान्वित करेंगी। नीति–निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों से कम महत्व नहीं दिया गया है।

RTE आरक्षित तबको के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ बाल श्रमिक प्रवासी बच्चों, विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों को एक मंच उपलब्ध कराता है। अनिवार्य शिक्षा शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता पर केन्द्रित है जिसे निरन्तर प्रयासों की जरूरत है।

उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने विभिन्न आरक्षित वर्गों के बी.एड. शिक्षार्थियों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार का अध्ययन कार्य आज तक बहुत ही कम हो पाया है, बल्कि विभिन्न आरक्षित वर्गों के बी.एड. शिक्षार्थियों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता को लेकर शोध अध्ययन नहीं हुआ है। अतः विभिन्न आरक्षित वर्गों के बी.एड. शिक्षार्थियों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन कर सरकार, संचालकों, समाज एवं राष्ट्र को एक नई दिशा दिखाने में यह शोधकार्य मार्गदर्शन कर सकेगा।

अध्ययन का महत्व

भारत सरकार ने अगस्त 2009 को तथा राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को जो अधिसूचनाएँ जारी की, उनमें बच्चे के इस अधिकार को मान्यता दी गई है कि निःशुल्क निर्बाध व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। इससे लगभग एक करोड़ ऐसे बच्चों को भी लाभ मिलेगा जो इस समय स्कूलों से बाहर है। केन्द्र सरकार ने इस महत्वकांक्षी योजना के लिए राज्यों को इस वर्ष 25 हजार करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये हैं। अब बच्चे को घर पर मजबूरी में रखना अभिभावकों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा बल्कि खुद विद्यालय गरीब बच्चों को मुफत शिक्षा देने के लिए खुद बुला रहा है।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून 2009 का पास होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि हरेक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और यह इसे राज्य परिवार और समुदाय की सहायता से पूरा करता है। विश्व के कुछ ही देशों में निःशुल्क और बच्चे पर केन्द्रित तथा मित्रवत शिक्षा दोनो को सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय प्रावधान मौजूद है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियिम (RTE) आरक्षित तबकों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ बाल श्रमिक, प्रवासी बच्चों, विशिष्ट जरुरतों वाले बच्चों को एक मंच उपलब्ध कराता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियिम (RTE) शिक्षण और सीखने की गुणवता पर केन्द्रित है जिसे निरंतर प्रयास और सतत् सुधारो की जरुरत होती है।

अध्ययन का औचित्य

समाज के विभिन्न तबकों व जातियों में आरक्षण रूपी संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता व इसका लाभ उठाने की प्रवृत्ति व समर्थता में भी अन्तर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आरक्षण के अन्तर्गत मिले अधिकारों व सुविधाओं का लाभ उठाने व इन्हें अपने हक में उपयोग करने की विभिन्न जातियों की सामर्थ्य में अन्तर का सीधा प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। परिणामतः आरक्षित वर्ग की विभिन्न जातियों (विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) की आपस में तुलना करने पर उनकी सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में व्यापक भिन्नता पाई जाती है।

किसी भी अध्ययन की सार्थकता उसकी आवश्यकता के स्वरूप एवं उपयोगितात्मक पहलुओं पर निर्भर करती है। साथ ही इस संदर्भ में यह देखा जाता है कि अध्ययन समाज को क्या नई दिशा देने वाला है। उपयुक्तता मानक रूपी दृष्टिकोण को मध्यनजर रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन सार्थक एवं औचित्यपूर्ण है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 से अध्यापकों की जागरूकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी सोच के साथ शोधकर्ता ने ''आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन'' विषय पर शोध करने का निर्णय लिया। इस अध्ययन के द्वारा जो निष्कर्ष निकलेंगे वे निश्चय ही शिक्षा जगत को उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तथा आज के इस समय इस शीर्षक पर शोध का औचित्य है। यह शोध देश, शिक्षा जगत, अध्यापकों के लिए उपयोग निष्कर्ष प्रदान करेगा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता ने इस प्रकरण को चयनित किया।

अतः शोधकर्ता ने समस्या का महत्त्व देखते हुये विभिन्न आरक्षित वर्गों के बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन करने का निश्चय किया ताकि उनमें वांछित सुधार हेतु सुझाव दिये जा सकें।

समस्या कथन

''विभिन्न आरक्षित वर्गों के बी.एड.शिक्षार्थियों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन''

अध्ययन के उद्देश्य

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बी.एड. शिक्षार्थियों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बी.एड. शिक्षार्थियों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

परिसीमन

1- प्रस्तुत शोधकार्य राजस्थान राज्य के केवल एक संभाग जयपुर तक सीमित रखा गया है।

2- जयपुर संभाग के समस्त जिलों को चयनित किया गया है।

3- जयपुर संभाग के बी.एड. महाविद्यालयों के कुल 600 आरक्षित शिक्षार्थियों को चयनित किया जायेगा।

4- चयनित शिक्षार्थियों में अनुसूचित जाति (200), अनुसूचित जनजाति (200) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (200) शिक्षार्थी रहेंगे।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोधकार्य का न्यादर्श जयपुर संभाग के कुल 600 आरक्षित शिक्षार्थियों तक ही सीमित किया गया है। प्रस्तुत ोध को बी.एड. महाविद्यालयों के शिक्षार्थियों तक ही सीमित किया गया है।

शोधविधि

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि अनुसंधान की यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैध एवं विश्वसनीय होते हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

जागरूकता मापनी

शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी मध्यमान (M)] प्रमाणिक विचलन (SD) एवं C.R. Value की गणना की जायेगी।

समंकों का सारणीयन एवं विश्लेषण

प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्ता ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण जिस प्रकार किया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है –

सारणी संख्या – T.IV.1

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बी.एड. शिक्षार्थियों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता के फलांको के सम्बन्ध में मध्यमान अन्तर की सार्थकता

शिक्षार्थी	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	कांतिक अनुपात मान (C.R.Value)	सार्थकता स्तर	
					.05	.01
अनुसूचित जाति	200	28.66	4.12	3.50		सार्थक अन्तर हैं।
अनुसूचित जनजाति	200	26.84	4.88			

(df=N_1+N_2 &2=200+200&2=398)

विश्लेषण

उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्राप्त मान तालिका मान से अधिक है। इस आधार पर परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बी.एड. शिक्षार्थियों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है।

प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता

वर्तमान समय में विद्यार्थियों को समाज में एक विकृत एवं असमायोजित वर्ग के रूप में परिभाि ात किया जाता है। यह एक दुखद एवं हास्यास्पद भूमिका में समाज के मानस पटल को दूषित कर रहा है। यदि इसी तथ्य को शोधकार्य की दृष्टि से भी सही एवं औचित्यपूर्ण मान लिया जाय तो फिर शिक्षा और शैक्षणिक प्रावधानों की कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी। शोधकर्त्ता ने अपने शोध की धारणाओं में इस तथ्य को पूर्णतया निराधार सिद्ध किया है। यह धरातलीय सत्य है कि विद्यार्थी को समाज की मुख्य इकाई के रूप में देखा जाय तो वे निश्चिय ही राष्ट्रीय एवं मानवीय जीवन दर्शन के पूर्ण संवाहक हो सकते हैं।

हिन्दी संदर्भ साहित्य

1. अस्थाना, विपिन (1994) : ''मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा –2 उ. प्र. पृ.स. 170
2. अग्रवाल, ईश्वर प्रकाश एवं अनिता, (1995) : ''बाल विकास एवं शैक्षिक क्रियाएँ'' आर्य बुक डिपो करोल बाग, नई दिल्ली, पृ. सं. 137.
3. अरोड़ा, रीता एवं मारवाह,सूरेश (2001) : ''शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के आधार'' 23 चौड़ा रास्ता, जयपुर पृ.सं.43
4. आचार्य, पं. ार्मा श्रीराम (1995) : ''भारतीय संस्कृति के आधारा भूत तत्व'' 'अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा प्रथम सस्करण, पृ.स. 3, 136, 3. 138, 4.174
5. आचार्य, पं. शर्मा श्रीराम (1996) : ''शिक्षा एवं विद्या,''अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा,'' प्रथम सस्करण, पृ. स. 114,1.37,1.104.2.24, 3.13,3.35
6. कपिल एच. के. (2004) : ''अनुसंधान विधियाँ, एच. पी. भार्गव बुक हाऊस, 4/230, कचहरी घाट, आगरा
7. गुप्ता, एम.एल. एवं शर्मा डी.डी. (1997) : ''भारतीय समाज'' साहित्य भवन पब्लिकेशसन्स, आगरा पृ ठ संख्या – 84, 95, 96, 149,
8. गुप्त, नत्थूमल (1997) : ''संस्कृति के सात सोपान''

*** Corresponding Author:**
डॉ. संदीप शर्मा, रीडर एवं रामपाल सैनी, शोधकर्ता
ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा महाविद्यालय, सीटीई, संगरिया (हनुमानगढ़)
मोबाईल – 9079270790, 9413759374